न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी (राज.)

तीन अधिकारी :– राजेश जोशी, आर.ए.एस.

ल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
1/दावा/2011	19.09.2011	21.12.2017

1. बाबूलाल उम्र 50 वर्ष आत्मज कालूलाल जाति खाती निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

– वादी

बनाम

1. जीतमल आत्मज कालूलाल जाति खाती निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
2. कंचन बाई पत्नि जीतमल जाति खाती निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
3. धन्नालाल आत्मज कालूलाल जाति खाती निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
4. गणेश आत्मज धन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
5. ओमप्रकाश आत्मज धन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज.टि.एक्ट

निर्णय

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि खसरा सं. 782/334 रकबा 6 बीघा, ख.सं. 788/335 रकबा 12 बिस्वा, ख.सं. 797/345 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। जिसका वादी खातेदार है तथा काबिज काश्त है। दिनांक 17.08.2011 को प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। अन्त में प्रार्थना की प्रतिवादीगण को पांबद किया जावे कि वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा नही करे, जबरन बेदखल नही करे।

Scanned by CamScanner

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.12.2012 को जवाब पेश किया जिसमें वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये वादी का वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। दिनांक 27.09.17 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।
3. वादी के द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श –1 पेश की।
4. वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि कृषि भूमि खसरा सं. 782/334 रकबा 6 बीघा, ख.सं. 788/335 रकबा 12 बिस्वा, ख.सं. 797/345 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा ग्राम कैथुदा में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक व अधिकार नही है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जे में हस्तक्षेप नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–:: निर्णय ::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं. 782/334 रकबा 6 बीघा, ख.सं. 788/335 रकबा 12 बिस्वा, ख.सं. 797/345 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नही करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी (राज0)

Scanned by CamScanner